रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 1991/ज्येष्ठ 30, 1913

No. 359] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 1991/JYAISTHA 30, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1991

का. आ. 416 (अ).—दहानू तालुका, जिला थाणे (महाराष्ट्र) को पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्र घोषित करने और पर्यावरण पर हानिकर प्रभाव डालने वाले उद्योगों की स्थापना करने पर प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के इरादे के खिलाफ दिनांक 8 फरवरी, 1991 के का. आ. सं. 80(ई) और दिनांक 27 फरवरी, 1991 को जारी शुद्धि-पत्र [का. आ. 147(ई)] के तहत प्रकाशित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर संबंधित लोगों से आपत्ति आमंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (5) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी।

और जबकि दहानू तथा बम्बई के पर्यावरणीय कार्य दलों, दहानु के व्यक्तियों, महाराष्ट्र सरकार दहानू उद्योग संघ दहानु तालुका कृषक समाज आदि से कतिपय आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं। इन आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया और तदनुसार इस अधिसूचना में कतिपय संशोधन शामिल किए गए हैं।

अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 की उप धारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, पारिस्थितिकी रूप से अतिसंवेदनशील दहानु तालुका को संरक्षित करने की आवश्यकता पर विचार करने के पश्चात् और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास के क्रियाकलाप, पर्यावरण संबंधी सुरक्षा और संरक्षण के सिद्धान्तों से संगत हैं, दहानु ताल्लुका, जिला थाणे (महाराष्ट्र) को पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्र के रूप में घोषित करने और ऐसे उद्योगों

की जिनका पर्यावरण पर हानिकर प्रभाव पड़ता है, स्थापना पर निर्बंधन अधिरोपित करती है । उद्योगों और औद्योगिक एककों की स्थापना पर उपाबंध में दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप होगा ।

तथापि, ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं पर जो इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख के पूर्व उक्त तालुका में पहले से ही अनुमोदित या विद्यमान है। इस अधिसूचना से उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । विद्यमान उद्योगों को सांविधिक मानकों के अनुरूप ही चलाना होगा।

महाराष्ट्र सरकार दहानु तालुका की विद्यमान भूमि पर आधारित तालुका के लिए इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान तैयार करेगी और इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कराएगी। यह मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान स्पष्ट रूप से सभी विद्यमान हरित क्षेत्रों, फलोद्यानों, जनजातीय क्षेत्रीय और अन्य पारिस्थितिकीय रूप से अंतिसंवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन करेगी । तालुका के लिए मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान में ऐसे क्षेत्रों के लिए भूमि के उपयोग के किसी भी परिवर्तन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। दहानु तालुका की गहरी परिधि के चारों ओर 25 किलोमीटर का एक बफर क्षेत्र उद्योग मुक्त रखा जाना चाहिए जिसके लिए मास्टर प्लान में व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुज्ञेय उद्योगों के अवस्थान के लिए दहानु तालुका के भीतर कुल क्षेत्र अधिकतम 500 एकड़ तक निबंधित होगा। औद्योगिक एकक ऐसे स्थलों पर अवस्थित होंगे जो पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिग्राह्य हों ।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम नियमावली में परिसंकटमय रसायनों के लिए निर्धारित सीमा/मात्रा से अधिक रसायनों का प्रयोग करने वाले उद्योग परिसंकटमय उद्योग समझे जाने चाहिएं । परिसंकटमय अपशिष्ट को एहतिहायती उपाय उठाने के बाद अभिनिर्धारित क्षेत्रों में निपटाया जाए। निपटान क्षेत्रों को सावधानी पूर्वक निर्धारित किया जाना है, उनकी निगरानी की जानी है और मास्टर प्लान में स्थान(का) का अभिनिर्धारण किया जाएगा तथा यह यथासंभव औद्योगिक सम्पदा के लिए अभिनिर्धारित 500 एकड़ क्षेत्र के परिसर के भीतर होगा।

महाराष्ट्र सरकार अधिसूचना में बताई गई शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करेगी जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

[सं. 13011/24/87—आई ए]

र. राजामणि, सचिव

अनुबंध

महाराष्ट्र के थाणे जिले के दहानु तालुका में उद्योगों तथा औद्योगिक इकाइयों को अनुमति देने/प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा-निर्देश ।

पर्यावरण और पारिस्थितिकीय आधार पर दहानु तालुका में इस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देने/उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए उद्योगों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात् हरी, नारंगी और लाल । यदि इसमें संदेह हो कि कोई उद्योग किस श्रेणी में आता है, इस बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय को लिया जायेगा और ऐसे उद्योग को तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उसे मंजूरी नहीं दे दी जाती है । केवल हरी और नारंगी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान उद्योगों के विस्तार/आधुनिकीकरण को गुणदोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

हरी श्रेणी :

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में मंजूरी/नामंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियों द्वारा जिन उद्योगों पर विचार किया जा सकता है, उनकी सूची (बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों) ;

1. केवल गैर-हानिकर और गैर-परिसंकटमय उद्योगों को मंजूरी दी जाएगी (हानिकर और परिसंकटमय उद्योगों में ज्वलनशील, विस्फोटक, क्षयकारी या विषाक्त पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले उद्योग आते हैं) ।

2. प्रदूषित औद्योगिक बहिस्रावों का विसर्जन न करने वाले उद्योगों को ही मंजूरी दी जाएगी ।

टिप्पणी : निम्नलिखित कार्यों या कार्य को करने वाले उद्योगों को प्रदूषित औद्योगिक बहिस्रावों का विसर्जन करने वाले उद्योग माना जायेगा, अर्थात् :—

एलोक्ट्रोप्लेटिंग
गालवेनाइजिंग
ब्लीचिंग
डिग्रीजिंग
फास्फेटिंग
रंगाई
फिकलिंग
चर्मशोधन
पालिशिंग
रेशों को पकाना
खालों की डाइजस्टिंग
वस्त्रों की डिजाइजिंग
लोम हटाना, सूखाना, डिलिमिंग तथा वस्त्रों की धुलाई
एल्कोहल का आसवन, स्टिलेज वाष्पन
गन्ने का रस निकालना, फिल्टर करना, अपकेन्द्रण
लकड़ी के कोयले का निर्माण
चीनी तैयार करने के लिए आसवन,
एम डी संयंत्रों में वैकवाश फिल्टरिंग
लुगदी बनाना, लुगदी प्रसंस्करण और कागज बनाना

कोयला पकाना
आवगाइडों की स्ट्रिपिंग
हाइड्रौलिक विसर्जन के जरिए प्रयुक्त रेत की धुलाई
टेटेक्स की धुलाई
विलायक निकालना

3. अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में कोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों को ही मंजूरी दी जायेगी।

4. केवल उन्हीं उद्योगों को मंजूरी दी जायेगी, जो विकीर्ण प्रकार की अस्थाई उत्सर्जनों का विसर्जन नहीं करेंगे।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने पर आमतौर पर गैर-हानिकर, गैर-परिसंकटमय और गैर-प्रदूषक श्रेणी में आने वाले कुछ उद्योग निम्नलिखित हैं :—

चावल मिलें, दाल मिलें, अनाज मिलें (आटा उत्पादन के लिए)
सुपारी उत्पादन और मसाला पिसाई
मूंगफली के छिलके निकालना (शुष्क)
द्रुतशीतन संयंत्र और शीत भंडार
बर्फ बनाना
मछली क्रस्टेशियस और इसी तरह के खाद्यों का परिरक्षण तथा प्रसंस्करण
दुग्ध और मक्खन, घी आदि जैसे डेरी उत्पादों का निर्माण
बुक बाइंडिंग
उत्कीर्णन, निक्षारण, ब्लाक बनाना
पत्थर की वस्तुओं का निर्माण, पत्थरों पर डिजाइन बनाना और उन पर पालिश करना (पत्थर पिसाई/पत्थर उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी) ग्रिल, गेट दरवाजे और खिड़की फ्रेम, पानी के टैंक, तार के जाल आदि जैसे धातु निर्माण अवयवों का निर्माण (कोयले के प्रयोग की अनुमति नहीं जाएगी)।

औजारों को पैना करने से संबंधित कार्य,
विद्युत उपकरणों की मरम्मत

खींचने वाली रेहड़ियों, हाथ की रेहड़ियों, बैलगाड़ियों आदि का निर्माण जेवर और उनसे संबंधित वस्तुओं का निर्माण (बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा)।
घड़ियों, दीवार घड़ियों, जेवरातों की मरम्मत बीड़ी निर्माण
हथकरघे/पावर से चलने वाले करघे। कढ़ाई और लेस तथा धारियां बनाना।

परदे, मच्छरदानियां, चटाइयां, चादरें, तकिये के गिलाफ, बैग आदि जैसा कपड़े का सामान बनाना।

बने बनाए कपड़े तथा परिधान बनाना (ड्राई प्रोसेसिंग)।
सूती और ऊनी हौजरी (ड्राई प्रोसेसिंग)
हथकरघे से बुनाई।

चमड़े के जूतों तथा चमड़े के सामान का निर्णय
(टैनिंग तथा हाइड प्रोसेसिंग के अतिरिक्त)
जूते के फीते बनाना।
शीशों तथा फोटोफ्रेमों का निर्माण।
वाद्य उपकरणों का निर्माण।
खेल कूद के सामान का निर्माण।
बांस तथा बेंत के सामान का निर्माण (केवल ड्राई आपरेशन)
कार्ड बोर्ड और कागज का सामान बनाना (कागज तथा लुगदी के सामान के अतिरिक्त)
पृथक्करण तथा अन्य कोटेड पेपर (कागज तथा लुगदी के सामान के अतिरिक्त)।
वैज्ञानिक और गणितीय उपकरणों का निर्माण।
घरेलू बिजली तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों का सजीकरण।
लिखने के सामान का निर्णय (पेन, पेंसिल आदि)।
पोलीथीन, प्लास्टिक तथा पीवीसी की चीजों की एक्स्ट्रूजन (मोल्डिंग)
शल्य जाली तथा पट्टियों का निर्माण।
कंक्रीट की रेलवे स्लीपरों का निर्माण।
सूती कपड़े की कताई और बुनाई (केवल ड्राई प्रोसेसिंग)
रस्सियों का निर्माण (सूत, जूट प्लास्टिक)
कालीन बुनाई।
तारों तथा पाइपों का निर्माण (नान एस्बेस्टॉस)
एक्स्ट्रूजन आफ मेटल।
बिजली तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों का सजीकरण।
कायर इंडस्ट्रीज।
खिलौने
मोमबत्तियां और अगरबत्तियां।
आयल गिनिंग और एक्सपेलिंग (कोई हाइड्रोजनेशन तथा परिष्करण नहीं)
आइस-क्रीम बनाना।
खनिज जल बनाना।
ट्रंकों और सूटकेसों का निर्माण।
स्टेशनरी की मदों का निर्माण (कागज और स्याही के अतिरिक्त)
आप्टीकल फ्रेमों का निर्माण।
कार्यालय तथा घरेलू फर्नीचर और उपकरणों का विनिर्माण—लकड़ी एवं स्टील दोनों।
1. (मशीनरी, मशीन के औजारों और उपकरणों (लघु) का विनिर्माण।
तार ड्राइंग (शीत प्रक्रिया), तार नेल्ज, बेलिंग स्ट्रैप्स।
इन्सटेन्ट काफी चाय के कारखाने।
कोयले/कोक, के अलावा अन्य ईंधन के प्रयोग द्वारा शीशे के बर्तन।
आप्टिकल ग्लास।

प्रयोगशाला बर्तन।

बेकरी उत्पाद, बिस्कुट और मिठाई।

आटे की चक्कियां आटे की (रोलर चक्कियों को छोड़कर)

इस सूची में उद्योगों को सुविधा के लिए शामिल किया गया है और यदि किसी मामले में वे उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते तो उन्हें नारंगी तथा लाल श्रेणियों में रखा जाएगा।

नारंगी श्रेणी

उन उद्योगों की सूची, जिन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त पर्यावरणीय मूल्यांकन और पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ दहानू तालुका में चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

मृत्तिका

मीट का संरक्षण और केनिंग

बिजली के मौजूदा अनुमोदित संयंत्रों से उत्पन्न राख से ईंटों, टाइलों, ब्लाकों, पाइपों आदि जैसी भवन निर्माण की सामग्री का विनिर्माण।

सफाई के बर्तन

तेलों से विलायक द्रव्य निकालने समेत वनस्पति घी

साबुन (वाष्प क्वथन प्रक्रिया के बिना)

सिंथेटिक डिटरजेंट बनाना (नान-फासफेटिक)

वाष्प पैदा करने वाले संयंत्र (कोयला/कोक के बिना)

औद्योगिक गैसों का निर्माण (केवल नाइट्रोजन, आक्सीजन और कार्बन डाई आक्साइड)

प्रोफेलेक्टिक्स और लेटेक्स उत्पादों को छोड़कर सर्जिकल और मेडिकल उत्पाद रबड़ के जूते

माल्ट खाद्य

पम्पों कम्प्रेशरों, प्रशीतन, यूनिटों, अग्नि उपशमन उपकरणों आदि का निर्माण।

चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण।

सुगंध, सुरस और भोज्य संयोजी

कार्बनिक पौधा पोषक

वातिक जल/साफ्ट ड्रिंक्स

उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले 3 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय वाले उद्योगों को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के विचारार्थ भेजा जाएगा।

उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले 3 करोड़ रुपये से कम परिव्यय वाले उद्योगों को राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी जायेगी।

लाल श्रेणी

उन उद्योगों की सूची, जिनको दहानू तालुका में चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इन श्रेणी में आने वाले उद्योगों की श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं :—

ढलाई खानों और मिश्रधातु बनाने की प्रक्रिया में शामिल धातु विज्ञानी उद्योग कोयला और अन्य खनिज प्रसंस्करण उद्योग

सीमेंट संयंत्र

कोयला/कोक के उपयोग पर आधारित उद्योग

तेल शोधक कारखाने

पैट्रो रसायन उद्योग

संश्लिष्ट रबड़ विनिर्माण

ताप और नाभिकीय विद्युत संयंत्र

औद्योगिक प्रयोजनों के लिए वनस्पति, हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति तेलों का विनिर्माण

चीनी मिलें

कोक ओवन्स के सह उत्पाद और कोल तारकोल आसवन उत्पादों का विनिर्माण

अल्कालिक और एसिड

विद्युत ताप उत्पादों (कृत्रिम अपघर्षी, केल्सियस कार्बाइड इत्यादि जैसे)

फासफोरस और इसके यौगिक

नाइट्रोजन यौगिक

विस्फोटक

फायर क्रेकर्स

तालिक अनहाइड्राइड

क्लोरोकृत हाइड्रो-कार्बन वाली प्रक्रियाएं

क्लोरनफ्लोरन ओनोन आयोडीन और उसके यौगिक रासायनिक उर्वरक

सिंथेटिक फाइबर्स और रेयोन

सिंथेटिक कटनाश/कटानुनाश/जलनाश/फूंदनाश इत्यादि का प्रतिशत और निर्माण।

मौलिक औषधियां।

एल्कोहल

कसाईखाना

पशुओं की खाल, चमड़ा आदि का संसाधक और प्रसंस्करण गुब्बारों के विनिर्माण सहित प्लास्टिक अथवा लेटेक्स उद्योग कोक बनाना, कोयले का द्रवकरण

जलाने की गैस का विनिर्माण

फाइबर ग्लास उत्पादन या प्रसंस्करण

रंगाई और उनकी इंटरमेडिएटस

औद्योगिक कार्बन और कार्बन उत्पाद

विद्युत रसायन और उनके उत्पाद

पेंट्स इनेमल और वार्निश

पोल विनाइल क्लोराइड

पोली प्रौपाइलीन

क्लोरेटस पाविलोरेटस और पैरोक्साइड

पोलिस

सिंथेटिक रेजिन्स

प्लास्टिक

एस्बेस्टास

पत्थर तोड़ने के कारखाने

टिप्पणी : जो उद्योग ऊपर दर्शाये गई तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आते उनके वर्गीकरण के मामले में निर्णय तीन करोड़ से कम परिव्यय वाली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा और अन्य मामलों को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजेगा।